संख्या- 36 /2018/370/22-4-18-48(19)/01

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 23 मार्च, 2018

विषय- डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ परिसर में निर्माणाधीन कारागार मुख्यालय के लिए फर्नीचर की व्यवस्था एवं एस0टी0पी0 का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-41611/नम-4/135, दिनांक- 18.11.2017 एवं पत्र संख्या-10906/नम-4/135टी0सी0/2017, दिनांक- 20.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के परिसर में निर्माणाधीन कारागार मुख्यालय के निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-72/2015/64/22-4-15-48(19)/2001, दिनांक 24.03.2015 द्वारा रू0 4356.85 लाख एवं शासनादेश संख्या-24/2018/132/22-4-18-48(19)/2001, दिनांक 19.03.2018 द्वारा कारागार मुख्यलाय के लिए फर्नीचर की व्यवस्था एवं एस0टी0पी0 का निर्माण कराये जाने हेतु रू0 4581.11 लाख + 180.00 लाख= रू0 4761.11 लाख की लागत पर पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गयी। सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ परिसर में निर्माणाधीन कारागार मुख्यालय के लिए फर्नीचर की व्यवस्था एवं एस0टी0पी0 का निर्माण कराये जाने हेतु रू0 2,00,00,000/-(रूपया दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक कर लिया जाय।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

3- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 24.03.2015 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 19.03.2018 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-07-कारागार मुख्यालय के भवन का निर्माण कार्य-24-वृहत् निर्माण कार्य मद" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से ही वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई0-12-399/दस/2018, दिनांक- 16 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या- 36 /2018/370(1)/22-4-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण नि0 लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।